प्रपत्र छः(नियम 6 का उपनियम 6 देखिये)

भू- विकास परमिट के अनुमोदन का प्रपत्र

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

1- मै0 वासुदेवम डेवलपर्स
द्वारा पार्टनर -प्रिंस गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र कुमार गुप्ता,
निवासी- 2 तारीन बहादुरगंज, शाहजहाँपुर।

2- मै0 आर0एल0इन्फा डेवलपर्स
द्वारा पार्टनर्स- नीलम वर्मा पत्नी स्व0 प्रमोद वर्मा,
शान्तनू वर्मा व कृष्ण वर्मा पुत्रगण स्व0 प्रमोद वर्मा,
राम लक्ष्मण एंड सन्स ज्वैलर्स,सदर बाजार,शाहजहाँपुर।

महोदय,

ग्राम लालपुर,परगना जमौर तहसील सदर,जनपद शाहजहाँपुर के खसरा नं0 208/0.0120 हे0,एवं खसरा नं0 209 /0.2.157 हे0(दो किता खसरा कुल क्षेत्रफल 2.1690 हे0) में से कुल 0.942018 हे0 अर्थात 9420.18 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजन से भूमि के उपविभाजन एवं विकास कार्य की अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत आपके आवेदन पत्र संख्या 81/2022-23 दिनांकित 01-07-2021 के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र को निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- यह अनुमति,स्वीकृति के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के लिये वैध है।इस अवधि में प्रस्तावित कालोनी के अन्दर प्राविधानित सभी विकास कार्यों को पूर्ण कराना होगा एवं विकास कार्य प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप ङ पर प्रस्तुत करनी होगी।

2- स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर विकास एवं निर्माण कार्य अनुमन्य होगा।स्वीकृति के विपरीत किसी भी प्रकार का विकास एवं निर्माण अनुमन्य नही है।स्वीकृति के विपरीत विकास एवं निर्माण कार्य करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

3- यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यह स्वीकृति आपने किसी तथ्य को छुपाकर,कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त कर ली है,तो इस स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

4- विन्यास मानचित्र,जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है,केवल वही प्रयोग अनुमन्य होगा।

5- स्वामित्व सिद्ध करने के लिये उपविभाजन मानचित्र का उपयोग किसी भी न्यायालय में वैध नहीं समझा जायेगा अर्थात मानचित्र की स्वीकृति संस्था के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।

6- सडक,सरकारी भूमि अथवा सर्विस लेन पर किसी प्रकार की कोई निर्माण सामग्री एकत्रित नहीं की जायेगी।

7- उ0प्र0राज्य वन नीति 1998 के अनुसार,प्रस्तावित कालोनी में न्यूनतम 125 वृक्ष लगवाना अनिवार्य होगा।

निरन्तर.........................2

Scanned with CamScanner

8- विकास एवं निर्माण कार्य के दौरान,विन्यास मानचित्र की स्वीकृति से सम्बन्धित विवरण की पट्टिका जिसमें विन्यास मानचित्र स्वीकृति सं0 एवं स्वीकृति के दिनांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाये,स्थल के बाहर स्थापित कराना अनिवार्य होगा एवं स्थल पर स्वीकृत विन्यास मानचित्र की एक प्रति भी अनिवार्य रूप से रखना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा जॉच की जा सके।

9- समस्त निर्माण एवं विकास कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप सम्यक रूप से अर्हता प्राप्त वास्तुविद/अभियन्ता के तकनीकी पर्यवेक्षण में भूकम्प रोधी मानक एवं अनुदेशों के अनुसार कराना होगा।निर्माण एवं विकास कार्य के दौरान,कोई अप्रिय घटना घटित होने की स्थिति में,इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

10- प्रस्तावित विन्यास मानचित्र को आपके अनुबन्ध पत्र एवं बन्धपत्र में उल्लिखित विवरण के आधार पर प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

11- प्रस्तावित विन्यास मानचित्र में प्रदर्शित सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था यथा-पार्क,सडक व नाली आदि के स्थल पर स्वामित्व सौंपने हेतु सक्षम अभिकरण को नियमानुसार हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विकास के लिये निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा।अनुबन्ध पत्र एवं बन्ध पत्र के विपरीत कृत्य की स्थिति में स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

12- भूखण्डों का विक्रय स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा।विक्रीत भूखण्डों पर भवन निर्माण प्रारम्भ कराने से पूर्व प्रथक-प्रथक भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।विषयगत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विषय का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने की दशा में,स्वीकृत मानचित्र सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।

13- प्रस्तावित योजना में आन्तरिक विकास कार्यों को कराने की प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखे गये भूखण्ड संख्या W-10, W-11, W-12, W-13, W-14, W-15, W-16, W-17, W-18 एवं W-19(कुल रकवा 1077.70 वर्गमीटर) का विक्रय सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूखण्ड बन्धनमुक्त करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

14- प्रस्तुत विन्यास मानचित्र में प्राविधानित पहुँच मार्ग केवल मानचित्र में दर्शित भूखण्डों के लिये ही मान्य होगा एवं इस उप विभाजन मानचित्र का भाग रहेगा।

15- प्रस्तावित कालोनी में रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

16- आवेदकगण को बाह्य विकास कार्य यथा-सीवर लाइन/जल निकासी की व्यवस्था स्वयं अपने व्यय पर करानी होगी।

संलग्नक- स्वीकृत मानचित्र।
दिनांक- 31/8/2012

31/8/2012

नगर मजिस्ट्रेट/
नियत प्राधिकारी,विनियमित क्षेत्र,
शाहजहाँपुर।

Scanned with CamScanner